संख्या : 92/7-5/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून : दिनांक : 27- नवम्बर, 2006

विषयः लिपि बॉयलर लिमिटेड को बॉयलर एवं इसके पार्टस के निर्माण हेतु तहसील रुड़की के ग्राम दहियाकी में कुल 3.221 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–796/भूमि व्यवस्था–भूमि क्रय–06 दिनांक 20 जून, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय लिपि बॉयलर लिमिटेड को बॉयलर एवं इसके पार्टस के निर्माण हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम दहियाकी में कुल 3.221 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

......(2)

6– स्पॉट जोनिंग के सम्बन्ध में जो मार्गदर्शी सिद्धान्त/नीति शासन द्वारा निर्गत की जायेगी उनका पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग, यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग बॉयलर एण्ड इसके पार्टस उत्पादक उद्योग की स्थापना के लिये ही किया जायेगा।

10– आवेदक को विशेष पैकेज का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र/निजी औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत विनियमित/घोषित किया जायेगा।

11– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2– तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– लिपि बॉयलर्स लिमिटेड, महेन्द्रा चैम्बर्स, मई फेयर–ए, 4 डोले, पाटिल रोड, पूने।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।